राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

चिमना पुत्र नागजी जाति कोली निवासी फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. आईदान पुत्र भोमा 2. मनोहर पुत्र भोमा 3. शंकरा पुत्र भोमा 4. उकाराम पुत्र वीहा 5. गणेशाराम पुत्र वीहा 6. धूमो पत्नी वीहा 7. नरसीराम पुत्र वीहा 8. पूनमाराम पुत्र वीहा 9. प्रकाशचन्द्र पुत्र वीहा फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 04 से 09 10. उतमाराम पुत्र कस्तुरा 11. जवाराराम पुत्र कस्तुरा 12. भारथा पुत्र कस्तुरा 13. लखाराम पुत्र कस्तुरा 14. बगताराम पुत्र कस्तुरा 15. हीरा पत्नी कस्तुरा 16. केकु पत्नी सवाई 17. चेतन पुत्र सवाई 18. भेरा पुत्र सवाई 19. सालू पुत्र सवाई 20. रणछा पुत्र नागजी 21. वीरा पुत्र नागजी 22. चम्पा पत्नी नागजी 23. चिमना पुत्र टीकमा 24. मोहन पुत्र टीकमा 25. धना पुत्र देहला 26. पाली पत्नी देहला फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 25 27. पारी पत्नी तुलछा 28. मांगीलाल पुत्र तुलछा राम जातियान कोली, निवासीगण फागलिया, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 29. एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक सेड़वा। 30. तहसीलदार सेड़वा।

मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु.न.313..../2024

04/11/24 प्रार्थी चिमना पुत्र नागजी जाति कोली **निवासी** फागलिया **तहसील** सेड़वा **जिला** बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **दोष मोहम्मद** वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो कि दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के संलग्न **तहसील सेड़वा के मौजा फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. फागलिया के खाता संख्या नया 32 के खसरा संख्या 578/187 रकबा 13.9050 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचार किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के परीक्षणोपरांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। **अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित की जाती है कि वे प्रार्थी को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. फागलिया के खाता संख्या नया 32 के खसरा संख्या 578/187 रकबा 13.9050 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, वादग्रस्त आराजी का बेचान, या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

न्यायालय द्वारा इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 16/12/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

18/12/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी [illegible] उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रा[illegible] पेशी पर ली गई। चूंकि मुलवाद को [illegible] हो चुका है, तो इस आवेदन को आगे [illegible] औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन की कार्रवाई इसी स्थल पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:00:12 IST
Reason: SelfAttested